BUDAUN POLICE

दिनाँक 15 फरवरी 2024

बदायूँ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर छेड़छाड़ करने व मारपीट करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के साधारण कारावास तथा कुल 3000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाए जा रहे **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के दृष्टिगत बदायूँ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में थाना वजीरगंज पर पंजीकृत/जनपद स्तर पर चिन्हित मु0अ0सं0 81/2022 धारा 323/354/452 भादवि में दोष सिद्ध पाए जाने पर मा0न्यायालय बदायूँ द्वारा दिनाँक 15 फरवरी 2024 को अभियुक्त नासिर पुत्र जलाला निवासी बगरैन थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ **को अन्तर्गत धारा 323 भादवि के लिए 1000 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 354 भादवि के लिए 02 वर्ष का साधारण कारावास,1000 रु0 अर्थदण्ड व धारा 452 भादवि में 1000 रु0 के अर्थदण्ड व एक वर्ष इस प्रकार कुल 03 वर्ष के कारावास तथा 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

घटना का विवरणः- अभियुक्त द्वारा वादिनी के घर में घुसकर अश्लील हरकतें करना व मारपीट करना पाया गया।

- अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुश्री रोहिणी उपाध्याय तथा विवेचक उ0नि0 श्री गंगा सिंह व पैरौकार थाना वजीरगंज का सराहनीय योगदान रहा है।

सोशल मीडिया सेल, बदायूँ